

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 40/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एक्सिस बैंक लि., रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिशुल-3rd फ्लोर, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात-380006, क्षेत्रीय कार्यालय-जी9, महिमा त्रिनिटी मॉल, 3 एफ-24, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी नवीन शर्मा पुत्र महावीर प्रसाद शर्मा

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र रिछपाल राम, निवासी-वार्ड नं. 04, पालड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान 332031
2. रिछपाल राम पुत्र पुसा राम, निवासी-वार्ड नं. 04, पालड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान 332031

-अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 07.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः बनवारी लाल पुत्र रिछपाल राम एवं रिछपाल राम पुत्र पुसा राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी बनवारी लाल पुत्र रिछपाल राम के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या-32, पालड़ी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 159.80 वर्गज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूरब दिशा में रिछपाल नाई का मकान एवं भंवरलाल पुत्र टिकू राम का मकान, पश्चिम दिशा में लालचन्द पुत्र जगदीश, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में भंवरलाल पुत्र टिकूराम का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 6,00,000/- रुपये (अक्षरे रूपये छः लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 16.11.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस



मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **16.11.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **बनवारी लाल पुत्र रिछपाल राम एवं रिछपाल राम पुत्र पुसा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बनवारी लाल पुत्र रिछपाल राम** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **पट्टा संख्या-32, पालडी, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 159.80 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में रिछपाल नाई का मकान एवं भंवरलाल पुत्र टिकू राम का मकान, पश्चिम दिशा में लालचन्द पुत्र जगदीश, उत्तर दिशा में रास्ता एवं दक्षिण दिशा में भंवरलाल पुत्र टिकूराम का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **07.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 मुकुल शर्मा
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर